न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 13 / 2022

वादी :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. भाकरराम पुत्र राणाराम जाति भाट, नि0 भाटो की ढाणी, धांगडवास, तह0 सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 11.05.2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धांगडवास तह0 सोजत जिला पाली राज0 के वर्तमान खाता संख्या 287 के वर्तमान खसरा नंबर 497 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि वादी की एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है, उक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा नंबर 497 की कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादी का लगातार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने से वर्ष 2001 में वादी को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 में खातेदारी अधिकार प्रदत करते हुए गैर खातेदारी अधिकार का नामान्तरकरण संख्या 393 के जरिए खातेदारी प्रदत की गई, जो खातेदारी अधिकार प्रदान करने का राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2050—53, 2054—57, 2058—61 में भी इन्द्राज है, तत्पश्चात वादी को गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किया गया, जो कि जमाबंदी वर्ष 2005 व सम्वत् 2066—69, 2070—73, 2074—77 से लगातार वादी खातेदार इन्द्राज चला आया है तथा वादस्थ भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा अड़चन के शांति पूर्वक तरीके से चला आया है तथा आज भी मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। वादस्थ कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रशासन गांवो के संग अभियान में वादी को खातेदारी अधिकार प्रदत करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी वादी की जाति भाट दर्ज न कर त्रुटिवश राईका दर्ज दिया, जबकि वादी की वास्तविक व सही जाति भाट ही है, तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादी को ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, वादी के अलावा ग्राम धांगड़वास में भाकरराम पुत्र राणाराम जाति राईका नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन सम्बन्धी राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना दस्तावेज का अवलोकन किये, वादी की राजस्व रेकर्ड में जाति भाट दर्ज न कर विधि विरूद्ध रूप से राईका दर्ज कर दी गई, वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से व राजस्व रेकर्ड दस्तावेज की जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही हो पाई, जबकि ग्राम धांगड़वास पटवार हल्का रेपड़ावास में वादी की अन्य कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 279 के खसरा नंबर 347 / 992 रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म जाव सोयम की कृषि भूमि स्थित है, जिस कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत 2074—77 वादपत्र के साथ संलग्न है, जिसमें भी वादी की जाति भाट दर्ज है, तथा वादी के अन्य सरकारी / अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में भी वादी की जाति भाट ही इन्द्राज है तथा दिनांक 30.12.2021 को ग्राम पंचायत चाडवास द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी कर यह प्रमाणित किया जाता है वादी भाकरराम पुत्र राणाराम जाति भाट ग्राम धांगडवास का निवासी है, तथा इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति उक्त जाति का निवासी नही है, जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी की जाति भाट ही सही व वास्तविक है। इसलिए वादी वादस्थ कृषि भूमि को दुरूस्त करवाकर वादी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः यह वाद रेकर्ड दुरूस्ती एवं घोषणा का पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा धांगड़वास, तहसील सोजत में स्थित होने से उक्त वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा सरहद मौजा धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 287 के वर्तमान खसरा नंबर 497 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी की जाति भाट के स्थान पर राईका दर्ज करने की त्रुटि को पुनः राईका के स्थान पर भाट दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा दिनांक 11.05.2022 को पेश कर वादी की भूमि सरहद मौजा धांगडवास में स्थित होना स्वीकार कर पैरा संख्या 02 व 03 वादी स्वयं न्यायालय हाजा में सिद्ध करने व पैरा संख्या 4 से 9 कानूनी होना अंकित किया है। जबाब दावा सामिल मिसल है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2058–61, 2066–69, 2074–77, सन् 2005 की प्रमाणित प्रतियॉ एवं वादी के आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र पेश किए, सामिल मिसल है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मौजा सरहद मौजा धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 287 के वर्तमान खसरा नंबर 497 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी की जाति भाट के स्थान पर राईका दर्ज करने की त्रुटि होना बखूबी साबित है। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा मौजा सरहद मौजा धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 287 के वर्तमान खसरा नंबर 497 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी की जाति भाट के स्थान पर राईका दर्ज करने की त्रुटि को पुनः राईका के स्थान पर भाट दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत अन्य राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2061, जमाबन्दी सम्वत वर्ष 2005, जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 , जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 खसरा नम्बर 347 / 992 में वादी की जाति भाट अंकित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत चाडवास का प्रमाण पत्र दिनांक 30.12.2021 के अनुसार भी वादी की जाति राईका नही होकर भाट है। वस्तुत दस्तोवेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर संपुष्टि होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 287 के वर्तमान खसरा नंबर 497 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी की जाति भाट के स्थान पर राईका दर्ज करने की त्रुटि को पुनः राईका के स्थान पर भाट दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धांगड़वास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 287 के वर्तमान खसरा नंबर 497 रकबा 0.6500 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन वादी की जाति भाट के स्थान पर राईका दर्ज करने की त्रुटि को पुनः राईका के स्थान पर भाट दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत